Knowledge is Power
PRIA

अध्ययन पर विचार–विमर्ष

स्थानीय स्वषासन की ईकाइयों में विकेन्द्रीकरण और सेवाओं की उपलब्धता

21 जनवरी 2010

मधुबनी, बिहार

डा0 आलोक पाण्डेय

प्रिया – 42, तुगलकाबाद इन्स्टिट्युषनल एरिया, नई दिल्ली फोन – 011.29960931/32/33 फैक्स – 011.29955183 ईमेल – **alok@pria.org;** वेब – **www.pria.org**

प्रस्तुतिकरण की रूपरेखा

- अध्ययन की आवष्यकता
- भारत मे स्थानीय स्वशासन का ऐतिहासिक परिचय
- विकेन्द्रीकरण और सुपुर्दगीकरण
- सुपुर्दगीकरण की वर्तमान स्थिति : राज्यो के अनुभव
- उभरती चुनौतियॉ और भविष्य की संभावनायें

1. अध्ययन की आवष्यकता

- 2 अक्टूबर 2009 – स्थानीय स्वषासन (पंचायती राज) की स्वर्ण जयन्ती
- स्थानीय स्वषासन और जन सेवाओं की उपलब्धता – स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका – मानव विकास से जुड़े मुद्दे
- सुपुर्दगीकरण और स्थायित्व के साथ मिलन (अभिसरण)
- तीसरे चरण के सुधार की आवष्यकता

Knowledge is Power
PRIA

कुछ प्रमुख मुद्दे

- स्थानीय स्वषासन की ईकाइयों में सुपुर्दगीकरण की वर्तमान स्थिति,
- उन कार्यों की पहचान जिन्हें स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों को सुपुर्द करने की आवष्यकता है,
- ग्रामीण – शहरी अभिसरण और उसकी संभावना
- किसी कार्य को निभाने के साथ संस्थागत स्थायित्व
- वित्तीय जिम्मेदारियों का सुपुर्दगीकरण

2. भारत में स्थानीय स्वशासन: ऐतिहासिक परिचय

- पंचायतों का जिक्र: ईसा पूर्व 6ठीं शताब्दी पूर्व से,
- ब्रिटिष काल में मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता नगर महापालिकाओं का जिक्र (1726)
- स्थानीय स्वषासन का जिक्र – लार्ड रिपन 1882,
- संविधान की धारा 40 – 'ग्राम स्वराज' को बढ़ावा

संवैधानिक व्यवस्था: 73वाँ और 74वाँ संविधान संषोधन

- संविधान की धारा 243 G और 243 W – आयोजना करने और उन्हें लागू करने का कार्य– आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के साथ,
- धारा धारा 243 H और 243 X – स्थानीय ईकाइयों को कर लगाने का अधिकार और राज्य द्वारा लगाये और वसूल किये गये कर का हिस्सा, राज्य के सुरक्षित निधि से सहायता देने की जिम्मेदारी, राज्य वित्त आयोग की भूमिका

पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा आयोजित प्रथम गोल मेज सम्मेलन के प्रमुख बिन्दु

- संविधान की धारा 243 G और 243 W – आयोजना करने और उन्हें लागू करने का कार्य– आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के साथ,

कार्यों का सुपुर्दगीकरण

- 'जिस स्तर पर जो कार्य बेहतर ढ़ंग से किया जा सके' के सिद्धान्त पर गतिविधि मानचित्रण को वर्ष 2004–05 तक पूरा करके कार्यों का सुपुर्दगीकरण

कर्मचारियों का सुपुर्दगीकरण

- पंचायती राज संस्थाओं को दिये कार्यों के अनुसार कर्मचारियों का सुपुर्दगीकरण

कोष का सुपुर्दगीकरण

- कार्यों और कर्मचारियों के सुपुर्दगीकरण के अनुरूप वित्त का सुपुर्दगीकरण

3. विकेन्द्रीकरण और सुपुर्दगीकरण

- शासन लोगों के जितने करीब होगा शासन में लोगों की सहभागिता हित और मुद्दों पर समझ ज्यादा होगी,
- आर्थिक सिद्धान्त – लोगों से जुड़ी संस्थायें अच्छी सेवा देने में सक्षम
- सुपुर्दगीकरण का स्तर और विस्तार,
- सुपुर्दगीकरण को बढ़ाने वाले घटक – जिला योजना समिति, राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग,

शोध की पद्धति

- शोध दो जिलों में
  - रहिका मधुबनी उनमें से एक
- गतिविधि मानचित्रण का अध्ययन – सुपुर्दगीकरण के आलोक में,
  - सेवा का आकार
  - जनसंख्या का आकार
  - वित्तीय (संसाधन) की क्षमता
- ग्रामीण – शहरी अभिसरण

अध्ययन का विषय

स्वास्थ्य

- ग्यारहवीं अनुसूची में विषय संख्या 23
- बारहवीं अनुसूची में विषय संख्या 6
- ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा एक प्रमुख कार्य के रूप में चिन्हित

मधुबनी: एक नजर में

जनसंख्या – 35,75,281

ग्रामीण – 34,50,736

शहरी – 1,24,545

विकास खण्ड – 21

परिवार – 6,56,858

औसत आकार – 5.4

Knowledge is Power
PRIA

रहिका: एक नजर में

- कुल आबादी – 2,58,895
- ग्रामीण आबादी – 1,92,555
- शहरी आबादी – 66340
- लिंगानुपात – 929
- ग्राम पंचायत – 25
- परिवार की संख्या – 46,607

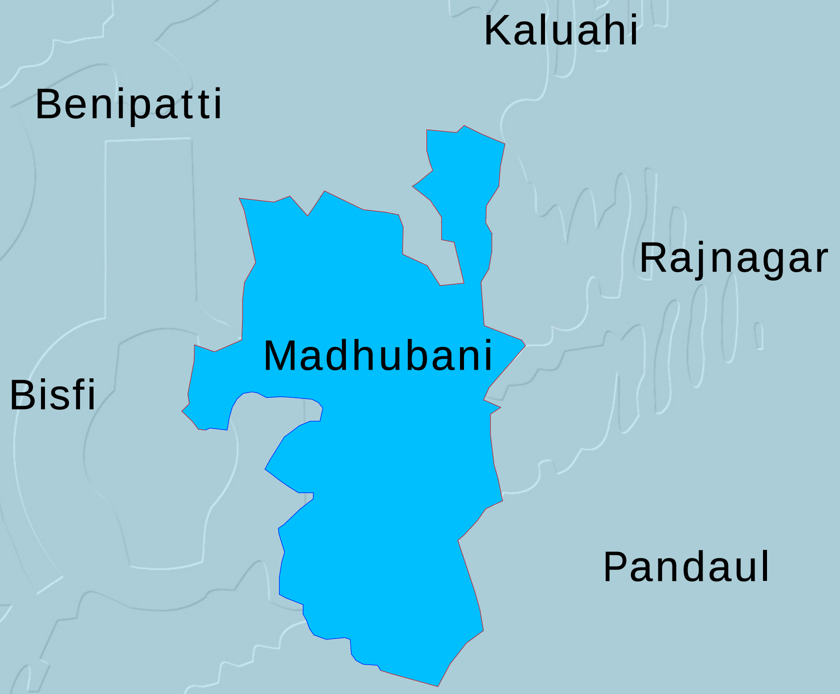

4. सुपुर्दगीकरण और बिहार की स्थिति

- ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29 विषयों का सुपुर्दगीकरण, बारहवीं अनुसूची पर स्पष्टता नहीं
- ग्यारहवीं अनुसूची के सभी 29 विषयों के संबंध में गतिविधि मानचित्रण पूरा
- कर्मचारियों के सुपुर्दगीकरण में 12वां और वित्तीय सुपुर्दगीकरण में 21 वां स्थान (अंतिम)
- स्वास्थ्य के सुपुर्दगीकरण को लेकर कोई स्पष्टता नहीं – सेवाओं की स्थिति बदतर

बिहार की स्थिति

जारी .....

कार्यों का सुपुर्दगीकरण

- शासनादेश – मुख्यतया प्रशासनिक प्रवृत्ति का
- योजना निर्माण में सीमित स्थान – सीमित मालिकाना व्यवहार
- स्थानीय शहरी निकायों की भूमिका नगण्य

बिहार की स्थिति

जारी .....

कर्मचारियों का सुपुर्दगीकरण

- कर्मचारी अभी भी विभाग के अधीन
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत समानान्तर संस्थाओं का गठन
- सीमित क्षैतिज जवाबदेही, आम जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं
- नियुक्ति, वार्षिक प्रतिवेदन, वेतन निर्धारण, भुगतान, सेवा मुक्त करने के संबंध में कोई अधिकार नहीं
- विभागीय प्रशासकीय कार्यवाही और उसे करने के प्रति सीमित जानकारी

बिहार की स्थिति

जारी .....

कोष का सुपुर्दगीकरण

- पूर्णतया विभाग के नियंत्रण में
- विभिन्न संस्थाओं – यूनीसेफ, विष्व बैंक – के कोष सरकार के माध्यम से
- स्थानीय स्वशासन की ईकाइयों को दी जाने वाली राशि दिशा निर्देषों से बंधी हुयी,
- 'जनता की सेवा' के लिये लोग देने को तैयार नहीं
- राज्य वित्त आयोग की भूमिका सीमित

Knowledge is Power
PRIA

खराब सुपुर्दगीकरण का प्रभाव

- स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति
- निम्न संस्थागत प्रसव
- अत्यधिक मातृत्व मृत्यु दर
- अत्यधिक नवजात शिषु मृत्यु दर
- कमजोर लिंगानुपात
- विभिन्न प्रकार की बिमारियॉ – मलेरिया, हाथीपांव, कालाजार, इत्यादि

Knowledge is Power
PRIA

खराब सुपुर्दगीकरण का प्रभाव

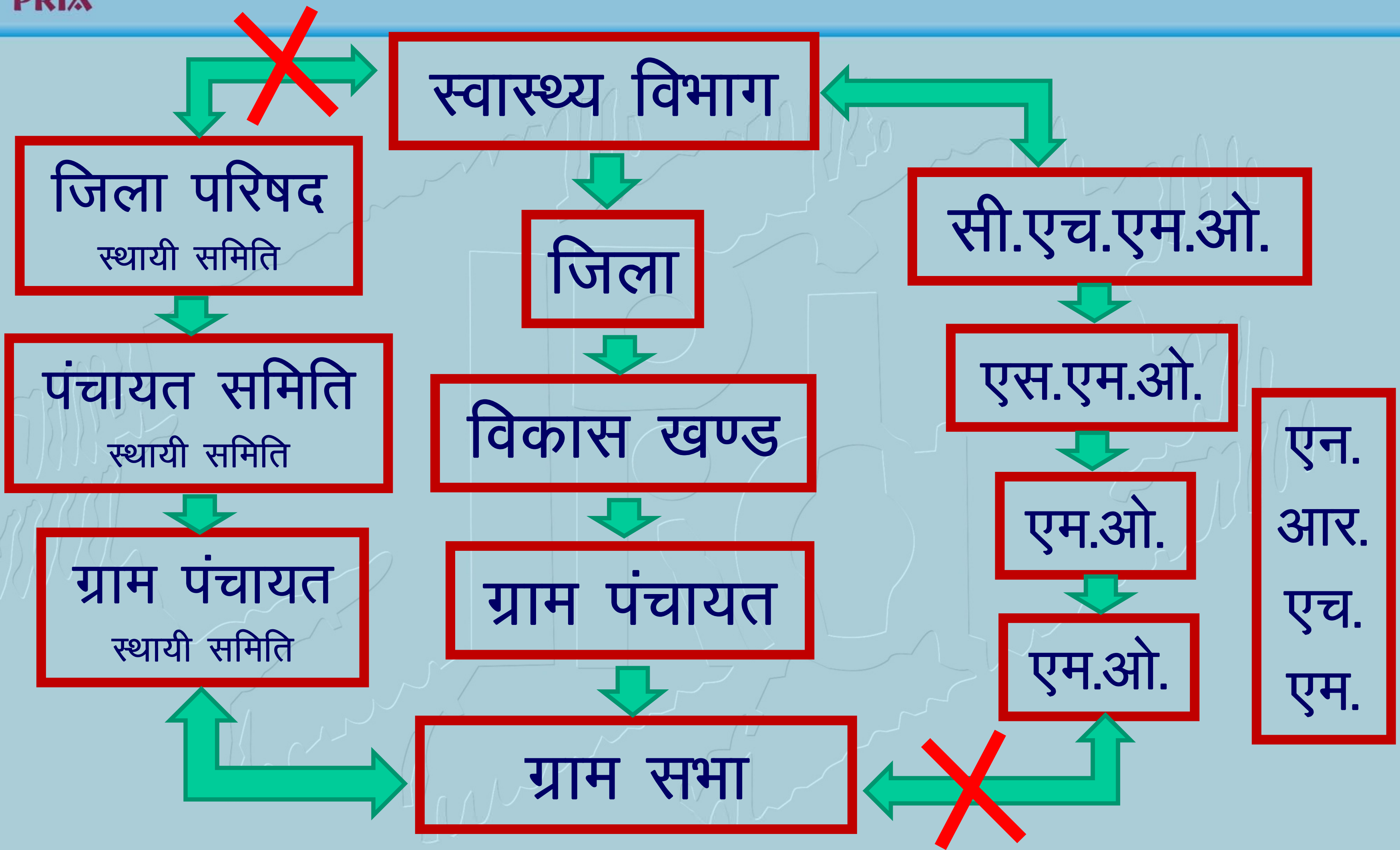

Public Health, Family Welfare and Rural sanitation Committee

उभरती चुनौतियॉ और भविष्य की संभावनायें

- स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्थानीय स्वषासन की ईकाइयों को तत्काल सुपुर्दगीकरण की आवष्यकता
- पंचायत समिति की महत्वपूर्ण भूमिका
- पंचायत समिितियों का स्वरूप शहरों जैसा,
- शहरी –ग्रामीण समेकन की पूरी संभावना – आयोजना की दृष्टि से महत्वपूर्ण
- विभाग का प्रषासनिक ढ़ांचा उपलब्ध
- सेवा योग्य जनसंख्या और सेवा विस्तार की संभावना

राज्य स्तर पर किये जाने वाले कार्य

- स्वास्थ्य की गुणवत्ता व स्तर का मानदण्ड तय करना
- स्वास्थ्य के संबंध में राज्य की योजनाओं का निर्माण
- शोध व अनुसंधान
- विभिन्न विभागों से ताल–मेल – पेय जल, पर्यावरण, उद्योग, ग्रामीण व शहरी विकास विभाग इत्यादि,
- जिला योजना समिति को तकनीकी सहयोग
- लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की नियमित जॉच

जिला पंचायत के द्वारा किये जाने वाले कार्य

- जिले की योजना में स्वास्थ्य की योजना को शामिल करना,
- बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिये आवष्यक कर्मचारियों की नियुक्ति,
- पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय शहरी निकायों को अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना
- संभावित बिमारियों का पूर्वानुमान करके उन्हें रोकने के उपाय
- दवाओं के खरीद के मापदण्ड तय करना,
- जिले स्तर पर विभिन्न विभागों से तालमेल

Knowledge is Power
PRIA

पंचायत समिति के द्वारा किये जाने वाले कार्य

- क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के ढ़ांचागत विकास की योजनाओं को तैयार करना,
- दवाओं की खरीद व क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों तक उनकी पहुॅच सुनिष्चित करना,
- क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों की नियमित देखभाल
- लोगों को संस्थागत इलाज के लिये जागरूक करना,
- लोगों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के बदले शुल्क देने के लिये प्रोत्साहित करना,

ग्राम पंचायत के द्वारा किये जाने वाले कार्य

- स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं का निर्माण करना,
- स्थानीय स्वास्थ्य केन्दों की नियमित देखभाल
- स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारियों से स्वास्थ्य के विषय में नियमित चर्चा
- लोगों को संस्थागत इलाज के लिये प्रेरित करना

कुछ अन्य सुझाव

- केन्द्र के स्तर पर संविधान की धारा 243 G और 243 W में परिवर्तन की आवष्यकता
- जन स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिये राज्य वित्त आयोग की ओर से प्रावधान
- राज्य सरकार द्वारा किये गये गतिविधि मानचित्रण को और स्पष्ट व प्रभावी ढ़ंग से लागू करना
- जिला योजना समिति को संस्थागत रूप से मजबूत करना

Knowledge is Power
PRIA

धन्यवाद